कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/पीएस आयुक्त/2011/ 436 दिनांक :: 12, अप्रैल, 2011

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण कार्यालय में ले–आऊट प्लान अनुमोदन एवं भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए कॉलोनाईजर, डवलपर्स एवं कृषि भूमि के खातेदारों द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं। परिपत्र दिनांक 25 फरवरी, 2009 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–बी के आवेदन के साथ ही प्रारूप "स" में ले–आऊट प्लान अनुमोदन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश है। धारा 90–बी के तहत आपत्तियां आमंत्रित करने व सुनवाई करने व आदेश जारी करने की प्रकिया के साथ साथ ले–आऊट प्लान अनुमोदन की प्रकिया को सरल, सुविधाजनक व समयबद्धता के साथ सम्पन्न कराने के लिए निम्न अनुसार निर्देश दिये जाते हैः–

1– उपायुक्त जोन कार्यालय में आवेदन–पत्र प्राप्त होते ही यह जांच की जावे कि आवेदन–पत्र निर्धारित प्रारूप मे हैं, आवश्यक दस्तावेज साथ लगे हुए हैं एवं आवेदन–पत्र का प्रत्येक कॉलम समुचित रूप से भरे हुए हैं तथा आवेदक के हस्ताक्षर है। उक्त जांच के पश्चात् आवेदक को प्राप्ति रसीद दी जावे तथा इसका पृथक मे रजिस्टर में इन्द्राज कर प्रत्येक आवेदन–पत्र को यूनिक नम्बर दिया जावे।

2– आवेदन–पत्र के साथ प्रस्तावित ले–आऊट प्लान मानचित्र की 3 प्रतियां प्राप्त की जावे एवं एक प्रति आवश्यक रूप से उसी दिन निदेशक–आयोजना को तकनीकी राय के लिए भिजवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निदेशक–आयोजना को प्रेषित की जावे। निदेशक–आयोजना आगामी 3 दिवस में अवगत करायेंगे कि प्रस्तावित योजना तकनीकी रूप से सही है और भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है या नहीं हैं? उक्त ले–आऊट प्लान पर राजस्व खसरा मानचित्र का सुपर इम्पोजिशन करवाकर ही प्राप्त किया जावे।

3– यह ध्यान रखा जावे कि प्रस्तावित ले–आऊट प्लान सक्षम आर्किटेक्ट/इंजिनियर/ड्राफ्ट्समैन द्वारा तैयार किया गया है और उनके द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापन किया गया है।

4– जोन में आवेदन–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् मौका जांच एवं राजस्व रेकर्ड संबंधी जांच के लिए संबंधित जोन के तहसीलदार, अमीन व पटवारी को भिजवाया जावे। संबंधित तहसीलदार, अमीन व पटवारी मौके व रिपोर्ट की जांच कर रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट "अ" में अधिकतम एक सप्ताह में उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। रिपोर्ट का परीक्षण उपायुक्त स्वयं द्वारा किया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त जांच रिपोर्ट में कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया तो नहीं गया है और बिन्दुवार प्रत्येक बिन्दु की स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की गयी है। यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त रिपोर्ट में समस्त तथ्य अंकित किये जावे एवं किसी भी सूरत में भ्रामक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाकर स्पष्ट रिपोर्ट चाहे अनुसार ही अंकित की जावे।

5– आवश्यक होने पर उपायुक्त स्वयं संबंधित अधिशाषी अभियन्ता एव सहायक नगर नियोजक के साथ मौका निरीक्षण करें।

6– ले–आऊट प्लान प्रकरण अनुमोदन के मामलों में अधिकतम 15 दिवस में सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जावे एवं इसके पश्चात् ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में रखा जावे। ले–आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक प्रत्येक गुरूवार को सांय 5.30 बजे रखा जाना निदेशक–आयोजना सुनिश्चित करेंगे। निदेशक–आयोजना को भिजवाते